भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *123

19 दिसंबर, 2022 को उत्तर के लिए

प्रबंधन और गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के मध्य विभाजन का मानदंड

***123. श्री धीरज प्रसाद साहू:**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) की सभी इकाइयों में प्रबंधन और गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के मध्य विभाजन तय करने में सम्मिलित समितियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) समितियों के सदस्यों के चयन की प्रक्रिया क्या है; और

(ग) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात संयंत्र में यूनियनों को विश्वास में लिए बिना शिकायत निवारण समिति का गठन कर लिया गया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)**

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

****

"प्रबंधन और गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के मध्य विभाजन का मानदंड" के संबंध में श्री धीरज प्रसाद साहू, संसद सदस्य द्वारा दिनांक 19 दिसंबर, 2022 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *123 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): सेल के कार्यकारी तथा गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के लिए वेतन/मजदूरी पुनरीक्षण से होने वाले लाभ के निर्धारण की प्रक्रिया भिन्न-भिन्न है। कार्यकारी कर्मचारियों के लिए वेतन/मजदूरी पुनरीक्षण पर डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्णय लिया जाता है। गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के मामले में इसे डीपीई द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार, प्रबंधन और श्रम संघ के प्रतिनिधियों वाले शीर्ष स्तरीय द्विपक्षीय मंच, इस्पात की राष्ट्रीय संयुक्त समिति (एनजेसीएस) के स्तर पर सामूहिक बातचीत के माध्यम से निर्धारित किया जाता है।

(ख): एनजेसीएस के सदस्यों में नियोक्ता [स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)] तथा श्रम संघों द्वारा नामित कामगारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। जहाँ तक कामगारों के प्रतिनिधित्व का संबंध है, केन्द्रीय श्रम संघों नामतः इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक), सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू), ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक), हिंद मजदूर सभा (एचएमएस) और भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस), प्रत्येक से तीन-तीन तथा भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, बर्नपुर के मुख्य सेल संयंत्रों और दुर्गापुर, सेलम, भद्रावती और चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र और आरआईएनएल, विशाखापट्टनम के विशेष इस्पात संयंत्रों के मान्यताप्राप्त श्रम संघ से एक-एक प्रतिनिधि नामित किए जाते हैं।

(ग): कर्मचारियों की शिकायतों का निपटान करने के लिए, बोकारो इस्पात संयंत्र में "विशेष शिकायत निवारण प्रकोष्ठ", जिसमें केवल प्रबंधन के प्रतिनिधि हैं, के रूप में शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है। इस प्रकोष्ठ में मान्यताप्राप्त श्रम संघों का प्रतिनिधित्व नहीं है, क्योंकि अधिकांश श्रम संघ मान्यता प्राप्त नहीं हैं और यह मामला न्यायाधीन भी है।

****